

कार्यालय अध्यक्ष, (रद्दी कागजात) निलामी कमेटी,

जिला एवं सेशन न्यायालय, झुंझुनू (राज0)

कमांक/लेखा/रद्दी/2025-26 ²⁶⁵

दिनांक 1.7.25

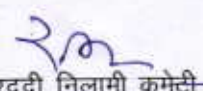
निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय में वेस्ट पेपर्स, पत्रिकायें, एवं अखबार मिक्स एवं विडेड आउट ज्यूडिशियल फाईलें जिनकी अनुमानित मात्रा 30-35 क्विंटल है जिनकी अनुमानित कीमत रुपये 35000/- के लगभग है। जिनका निस्तारण जैसा है, जहां है, के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है। इच्छुक व्यक्ति अपनी प्रस्तावित दरों के साथ बंद लिफाफों में दिनांक 09.07.2025 को शाम 05:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। निविदा दिनांक 10.07.2025 को 1:30 पीएम पर खोली जावेगी। इच्छुक व्यक्ति अथवा प्रतिनिधि उस समय उपस्थित रह सकते हैं। बेचान करने वाली रद्दी एवं निविदा की शर्तें कार्यालय समय में देखी जा सकती है। निविदा के साथ रुपये 2000/- अक्षरे एक हजार मात्र की अर्नेस्ट मनी का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झुंझुनू के नाम देय हो, संलग्न करना अनिवार्य है। चैक/पोस्टल ऑर्डर आदि मान्य नहीं होगा, बिना अर्नेस्ट मनी के निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। निविदा की सूचना <http://sppp.rajasthan.gov.in> एवं districts.ecourts.gov.in/jhunjhunu पर भी देखी जा सकती है।

निविदा की शर्तें निम्न प्रकार होगी:-

1. निविदादाता अपनी दर प्रति किलोग्राम के हिसाब से सादे कागज/लेटर पेड पर प्रार्थना पत्र के रूप में बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करे।
2. निलामी की जाने वाली रद्दी यदि देखना चाहे तो किसी भी कार्य दिवस को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में सम्पर्क कर देख सकते हैं।
3. निविदा पत्र के साथ 2000/- रुपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट अर्नेस्ट मनी के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा, बिना अर्नेस्ट मनी के निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
4. निविदा स्वीकृति के पश्चात् निश्चित तिथि को रद्दी तोली जावेगी, जिसकी आधी राशि उसी समय जमा करानी होगी। शेष रकम तीन दिन में जमा कराकर रद्दी निविदादाता को सुपुर्द की जावेगी। राजकोष में जमा होने वाली राशि तुरंत जमा कराई जाकर चालान की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
5. रद्दी को तोलने के तीन दिवस में यदि शेष रकम जमा नहीं कराई गई तो निविदादाता की जमा कुलिया रकम जब्त कर ली जायेगी एवं पुनः निलामी की कार्यवाही की जावेगी।
6. उच्चतम दर वाले निविदादाता के अलावा अन्य निविदादाता को अर्नेस्ट मनी की रकम उनके द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उसी दिन लौटा दी जावेगी।
7. निश्चित समय सीमा में निविदादाता द्वारा रद्दी नहीं उठाने के कारण वर्षा या अन्य किसी कारण से माल खराब हो जाता है अथवा कोई नुकसान हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं, निविदादाता की होगी। इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरकर्ता का कोई दायित्व नहीं होगा, न ही इसमें किसी प्रकार की छूट दी जावेगी।
8. निविदा स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

अध्यक्ष


रद्दी निलामी कमेटी

(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश 01)

झुंझुनू